umes I and II-gives incomplete information, because in this House previously a motion was raised...

MR. SPEAKER: It has been disposed of. I cannot allow you.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, let me complete. The first part was not submitted in 1972 but in 1973. Secondly, Volumes I and II do not indicate whether the Enquiry Commission5s report has been completed. It gives scope for speculation and scope for complications in future which Government should avoid. I want to know if any other volume is coming.

SHRI C. SUBRAMANIAM: It is a complete report. No more volume is coming.

STATEMENT CORRECTING REPLY TO SUSQ NO. 6031 RE PRICE OF SUGARCANE, PAID BY SUGAR FACTORLES IN TAMIL NADU

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISRY OF AGRICULTURE (SHRI B. P. MAURYA): I beg to lay on the Table a statement (i) correcting the reply given on the 8th April, 1974 to Unstarred Question No. 6031 by Shri M. R. Lakshminarayanan regarding price of sugarcane paid by sugar factories in Tamil Nadu during last three years, and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply. [Placed in Library. *See* No. LT-8277/74].

REPORT ETC. ON INCIDENT AND POLICE FIRING AT LIMBDI IN SUNDRANAGAR DISTRICT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following documents under sub-section (4) of section 3 of the Commissions of Inquiry Act. 1952 read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 9th February, 1974 issued by the President in relation to the State of Gujarat:—

(i) Report on the incidents and police firing at Limbdi in Surendranagar District on the 27th April, 1973;

(ii) Memorandum of Action taken on the Report.

(2) A statement explaining reasons for not laying simultaneously the Hindi versions of the above documents.

[Placed in Library. *See* No. LT-8273/74].

श्री पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष जी, माननीय मिर्धा जी ने जो अभी कागजात सभा पटल पर रखे हैं वह गुजरात के बारे में हैं और इन्होंने कहा है कि उसका अनुवाद अभी हिन्दी में नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले आपने कहा कि जो मामला गुजरात सरकार के तहत है उसका हिन्दी अनुवाद यहां नहीं आ सकता। लेकिन अब चूंकि गुजरात की सारी बातें केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं तो आप उनसे कहें कि उसकी सारी जिम्मेदारी अब केन्द्रीय सरकार की है और जो भी कागजात गुजरात के बारे में रखे जांय उनका हिन्दी अनुवाद साथ में होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि गुजरात में, जैसा मैंने कई दिन पहले कहा था, लाखों लोग हिन्दी जानने वाले, पढ़ने वाले और समझने वाले हैं और इस वास्ते मैं भी आज हिन्दी में बोल रहा हूं। तो गुजरात सरकार से जल्दी से जल्दी इंतजाम कराइये जिससे हिन्दी का अनुवाद शुरू हो जाय।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : आप ने कहा था हिन्दी में भी अनुवाद आयेगा। लेकिन इतना आश्वासन होने के बाद भी मिनिस्टर साहब यही कहते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : यह बात बार-बार आ जाती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप ने जनरल परपजेज कमेटी की बैठक में इस पर विचार करने के लिये कहा था।

अध्यक्ष महोदय : एक बात जाननी होगी अगर हिन्दी का जिस समय न आये तो हम फैसला कर लें कि इसमें न रखा जाय।

श्री मधु लिमये (बांका) : असल में अपनी भाषा के बारे में इनको प्रेम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगर न रखने दें तो फिर सवाल पैदा होगा कि देर से क्यों आया। दोनों तरह से नहीं छोड़ते। ट्रांसलेशन में देर हो जाय तो फिर आपका दूसरा शुरू हो जाता है कि इतनी डिले क्यों हुई? आफ्टरआल एकदम कैसे आयेगा?

श्री पी० जी० मावलंकर : गुजरात में व्यवस्था ही नहीं है इसकी। वहां व्यवस्था क्यों नहीं शुरू करते हैं यह मेरा सवाल है?

श्री अटर बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बारे में एक निवेदन करना है। आपने उस दिन यह सुझाव स्वीकार किया था कि जनरल परपजेज कमेटी में गृह मंत्री भी हों, विधि मंत्री भी हों और वहां उनके साथ इसके ऊपर विचार हो जाय। लेकिन मंत्रियों को आप इस बात की छूट देंगे कि वे एक बयान देकर छूट जायं हिन्दी का संस्करण रखने से तो हिन्दी कभी चलेगी ही नहीं। आखिर आपको देखना चाहिए कि जो देर लग रही है वह सचमुच में उचित है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये हम उनसे बात करेंगे।

श्री मधु लिमये : क्या अपनी भाषा के बारे में इनको प्रेम है? इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में हिन्दी नहीं चलवाई, जब कि अरेबिक चलती है, स्पेनिश चलती है, लेकिन हिन्दी नहीं चलती है।

अध्यक्ष महोदय : भाषा के बारे में तो जो आप कहें इस मसले पर मैं आप के साथ हूं। लेकिन कुछ बनाना पड़ेगा कि किस ढंग से करें।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : दिक्कत क्या है इसमें?

श्री हुकम चन्द कछवाय : (मरेना) : जो सवाल उठा है उसके बारे में मंत्री महोदय को क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदय : आप जितना वक्त बच सके उतना वक्त बचायें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हिन्दी की अवहेलना क्या छोटी बात है?

FERTILISER (MOVEMENT CONTROL) (THIRD AMENDMENT) ORDER, CERTIFIED ACCOUNTS AND AUDIT REPORT OF NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION AND BOMBAY TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS (GUJARAT AMENDMENT) RULES

SHRI B. P. MAURYA: On behalf of Shri Annasaheb P. Shinde, I beg to lay in the Table—

(1) A copy of the Fertiliser (Movement Control) (Third Amendment) order, 1974 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 360(E) in Gazette of India dated the 5th August, 1974, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [Placed in Library. *See* No. LT-8274/74.]

(2) A copy of the Certified Accounts (Hindi and English